

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जीएस०वाई०
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

Phone/Fax :-05964-234118

Email address:-cepmgsylohaghat@gmail.com

पत्रांक 143 / पी०एम०जीएस०वाई० /
सेवा में,

दिनांक 22.02.2024

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग चम्पावत।

विषय - जनपद चम्पावत में पी०एम०जीएस०वाई० के अन्तर्गत टनकपुर तवाघाट रो सिंगदा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.915 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं० FP/UK/Road/3905/2019 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक 2252/12-1 चम्पावत दिनांक 06.01.2023।
महोदय,

उपरोक्त विषय सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/3905/2019 टनकपुर तवाघाट से सिंगदा मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय देहरादून के पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/०६/०२/२०२०/एफ०सी०/१२०९, दिनांक ०९.०९.२०२० के द्वारा प्राप्त हुयी थी। तथा कार्यादेश जारी होने के पश्चात् मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। तथा कार्यादेश जारी होने के उपरान्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसी क्रम में अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/०६/०२/२०२०/एफ०सी०/११६६ दिनांक ३०.११.२०२२ द्वारा अवगत कराया है कि उक्त मोटर मार्ग के प्रस्ताव में के०एम०एल० में दर्शित समरेखण एवं वास्तविक कटान में भिन्नता पायी जा रही है। इस क्रम में लगायी गयी आपत्तियों का विन्दुवार प्रतिउत्तर निम्न प्रकार से प्रेषित किया जा रहा है।

क्र०सं०	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1	के०एम०एल० का अवलोकन उपरान्त प्रस्तावित alignment में इतर परिवर्तन पाया गया है, जोकि एफ०सी०ए० १९८० के नियमों का उल्लंघन है। इस हेतु राज्य सरकार से अनुरोध है कि सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण करवाकर रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें एवं यदि प्रस्ताव में एफ०सी० ए० १९८० के नियमों का उल्लंघन हुआ है तो इस हेतु संबन्धित डी०एफ०ओ० द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट भी इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	उक्त मोटर मार्ग का निर्माण एवं वृक्षों का छपान / पातन स्वीकृत समरेखण एवं वास्तविक रूप से प्रभावित सीमांकित (Demarcated) वन भूमि के अनुसार ही किया गया है। चूंकि उक्त प्रस्ताव वर्ष में ऑनलाईन अपलोड किया गया था तत्समय कार्यालय में जी०पी०एस० कार्डिनेट लेते हुये के०एम०एल० फाईल निर्माण करने हेतु कोई दक्ष (expert) कर्मचारी न होने से के०एम०एल० फाईल के निर्माण में ऋुटी प्रदर्शित हो रही है जिस कारण कुछ स्थानों पर निर्मित मार्ग के०एम०एल० फाईल में प्रदर्शित समरेखण से इतर दिखाई दे रहा है। वर्तमान में वास्तविक समरेखण के अनुसार संशोधित के०एम०एल० फाईल तथा जियो रिफरेन्स मैप तैयार किया गया है जिसके अनुसार उक्त मोटर मार्ग के समरेखण में आने वाले वृक्षों का छपान/पातन तथा निर्माण कार्य वास्तविक संशोधित मैप एवं स्वीकृति समरेखण के अनुसार ही किया गया है। अतः उक्त मोटर मार्ग का निर्माण स्वीकृत समरेखण में ही किया गया है तथा प्रस्ताव में प्रस्तावित चिन्हित वृक्षों का छपान/पातन किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम १९८० का किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।
2	राज्य सरकार परिवर्तित समरेखण में काटे गये वृक्षों एवं अनुमोदित समरेखण में प्रस्तावित वृक्षों का तुलनात्मक विवरण एवं इसके सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	उक्त मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या ५९३ थी। तथा मोटर मार्ग के निर्माण के समय प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या ५९३ वृक्षों का ही छपान / पातन किया गया है। अतः उक्त मोटर मार्ग के समरेखण में कोई परिवर्तन नहीं किया है किया है तथा प्रस्तावित प्रभावित होने वाले वृक्षों का ही छपान/पातन किया गया है।

अतः सूचना अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- 1. के०एम०एल० फाईल।
2. जियो रिफरेन्स मैप।

Phenu
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जीएस०वाई०
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

Phone/Fax :-05964-234118

Email address:-cepmgsylohaghat@gmail.com

रिपोर्ट


जनपद चम्पावत पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग से सिंगदा मोटर मार्ग प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/3905/2019 की सौद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 08 वी/यू०सी०पी०/06/02/2020/ एफ०सी०/1209 दिनांक 09.09.2020 द्वारा प्राप्त हुयी थी। तथा कार्यादेश जारी होने के पश्चात मार्ग का निर्माण किया जा चुका है। तथा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 8वी/यू०सी०पी०/06/02/2020/ एफ०सी०/1166 दिनांक 30/11/2022 द्वारा अवगत कराया है कि के०एम०ल० में दर्शित समरेखण एवं वास्तविक कटान में भिन्नता पायी गयी है।


सम्बन्धित प्रस्ताव में पाया गया है कि वृक्षों का छपान/पातन तथा मोटर मार्ग का कटान कार्य सक्षम अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त लो०नि०वि० पिथौरागढ़ द्वारा स्वीकृत समरेखण में ही किया गया है।

उक्त वनभूमि प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु 8.250 कि०मी० लम्बाई में जो के०एम०ल० फाईल बनायी गयी थी उसे तकनीकी दक्षता की कमी तथा समयभाव के कारण तत्कालीन अधिकारियों द्वारा अपलोड कर दिया गया था। वर्तमान में वास्तविक समरेखण के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के समरेखण में आने वाले वृक्षों का छपान/कटान तथा निर्माण कार्य वास्तविक संशोधित मैप स्वीकृत समरेखण के अनुसार ही किया गया है। इस निर्माण कार्य में वन अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।



अतः नोडल अधिकारी एक क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार से अनुरोध है कि कृपया संशोधित के०एम०ल० फाईल तथा जियो रिफरेन्स मैप को एन०आई०सी० नई दिल्ली के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड किये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।


AAE


सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.
सिंचाई खण्ड लोहाघाट



अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट

करेन्स मैप - जनपद चम्पावत में टनकपुर तवाघाट से सिंगदा मोटर मार्ग हेतु 3.915 हे० वन भूमि का गैर वानिकी हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं० FP/UK/Road/3905/2019 (लम्बाई-8.250 कि०मी०)



Legend

- GPS Points
- Constructed Road


 सहायक अभियन्ता
 पी.एम.जी.एस.वाई.
 सिंगदा खण्ड लोहाघाट

Bhava
 अभियांसी अभियन्ता
 पी.एम.जी.एस.वाई.
 सिंगदा खण्ड लोहाघाट